राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 2(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./91 पार्ट जयपुर, दिनांक : 22/09/2021

परिपत्र

समस्त अति0 मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

विषयः– प्रतिनियुक्ति के पदों को पदोन्नति हेतु रिक्तियों की गणना में सम्मिलित किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

पदोन्नति हेतु जारी इकजाई परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 7.5 में पूरे वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से उपलब्ध होने वाली रिक्तियों की गणना के संबंध में प्रावधान विहित है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक की अवधि के अवकाश अथवा प्रतिनियुक्ति पर यदि कोई राजसेवक है, तो इस प्रकार की रिक्तियों को भी पदोन्नति के लिए गणना योग्य माना गया है।

कार्मिक विभाग के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा एक वर्ष से कम की कालावधि के प्रतिनियुक्ति पद को भी पदोन्नति की रिक्तियों की गणना में सम्मिलित कर लिया जाता है/किया जा रहा है अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी की मांग किये जाने मात्र पर ही ऐसे पदों को पदोन्नति के लिए प्रतिनियुक्ति पदों में गणना की जा रही है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है।

अतः परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 7.5 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से उपलब्ध होने वाली रिक्तियों की गणना में प्रतिनियुक्ति से संबंधित पदों में निम्नांकित पदों को सम्मिलित किया जा सकेगा –

1. अन्य विभाग के वे पद जो वित्त विभाग की स्वीकृति से विभाग की केडर स्ट्रेन्थ में शामिल किये जा चुके हों

2. जिन प्रकरणों में विभागीय अधिकारी 01 वर्ष से अधिक समय से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है तथा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक तक कार्यरत है

3. ऐसे प्रकरण जिनमें विभाग के किसी अधिकारी को 01 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लगाने हेतु आदेश जारी किया जा चुका हो तथा अधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति की तिथि से पूर्व कार्यमुक्त हो चुका हो।

42/2021

अतः समस्त विभागाध्यक्षों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि कृपया पदोन्नति हेतु वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से उपलब्ध होने वाली रिक्तियों की गणना में प्रतिनियुक्ति से संबंधित पदों के संबंध में उक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

21/9/21

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

42/2021